रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 1973/फाल्गुन 25, 1894
No. 93] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 1973/PHALGUNA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th March 1973

S.O. 145(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Sheo Chandika Prasad, a member elecected to that House from 27-Banka Parliamentary Constituency in the State of Bihar;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 20th April, 1973, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/BR-HP/3/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1973

एस० ओ० 145(अ).—यत: बिहार राज्य में के 27 बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री शिव चंडिका प्रसाद की मृत्यु हो जाने से लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे उक्त रिक्ति को भरने के लिए 20 अप्रैल, 1973 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/बिहार-लो० स०/3/72(1)]

S.O. 146(E).—In pursoance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 27-Banka Parliamentary Constituency in the State of Bihar in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/3/72(1), dated the 16th March, 1973—

(a) the 23rd March, 1973 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 24th March, 1973 (Saturday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 26th March, 1973 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 15th April, 1973 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 20th April, 1973 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/BR-HP/3/72(2).]

एस० ओ० 146 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/बिहार-लो०स० /3/72(1), तारीख 16 मार्च, 1973 के अनुसरण में बिहार राज्य में के 27 बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप निर्वाचन क्षेत्र के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	23 मार्च, 1973 (शुक्रवार);
(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	24 मार्च, 1973 (शनिवार);
(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख	26 मार्च, 1973 (सोमवार);
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	15 अप्रैल, 1973 (रविवार) तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	20 अप्रैल, 1973 (शुक्रवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/बिहार-लो० स०/3/72(2)]

S.O. 147(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby fixes the hours from 7 A.M. to 5 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 27-Banka Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/3/72(1), dated the 16th March, 1973.

[No. 100/BR-HP/3/72(3).]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 147 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/बिहार–लो० स०/3/72 (1), तारीख 16 मार्च, 1973 के अनुसरण में 27 बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के लिए 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/बिहार–लो० स०/3/73(3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973